

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
73/2024

दायर दिनांक
04.03.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
16.04.2024

1. कैलाश चन्द्र पुत्र गोवर्धन उर्फ गोर्धन तेली 45 वर्ष निवासी- दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. गोपाल पुत्र गोवर्धन उर्फ गोर्धन तेली आयु 42 वर्ष निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. डाली पुत्री गोवर्धन उर्फ गोर्धन तेली आयु 40 वर्ष निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. बदाम पत्नी गोवर्धन उर्फ गोर्धन तेली आयु 65 वर्ष निवासी- दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन पुत्र नाथू तेली आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. रोशन विश्नोई पुत्रघीसू लाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी- दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. नारायण पुत्र देवी लाल तेली आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. प्यारा तेली पुत्र किशना तेली आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. हरक लाल पुत्र कजोड़ तेली आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. उदा पुत्र परसा तेली आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. देवी लाल पुत्र मीठू लाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. नन्दा पुत्र माधु तेली आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. रामेश्वर पुत्र गम्भीर तेली आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

विपक्षीगण

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी शोभागमल कुमावत
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दरीबा प0ह0 दरीबा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 89 की अभिलिखित आराजियात 195, 202, 203, 204, 205, 207/1, 396/2, 407 कुल किता 08 कुल रकबा 0.9105 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।


तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा दरीबा प0ह0 दरीबा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 89 की अभिलिखित आराजियात 195, 202, 203, 204, 205, 207/1, 396/2, 407 कुल किता 08 कुल रकबा 0.9105 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगठी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हान निवृत्ति सोमनाथ)

उपरवण्ड अधिकारी
उपरवण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा